अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 465(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं0 **का**० आ0 308 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंधरोट, जिला-बड़ौदा, गुजरात" द्वारा "सिंधरोट, वडोदरा, गुजरात में कोढ़ रोगमुक्त मरीजों के लिए पुनर्वास/कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2000-01 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 07.06.2002 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 611 (अ०) के तहत निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 03.02.2006 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 155 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 233 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 2404 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 03 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 155 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 400.00 लाख रू0 से बढ़कर 1000.00 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 15 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंधरोट, जिला-बड़ौदा, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "सिंधरोट, वडोदरा, गुजरात में कोढ़ रोगमुक्त मरीजों के लिए पुनर्वास/कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 1000.00 लाख रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 95/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)